बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुओं पर क्रूरता से संबंधित आवश्यक बातें

- बुरी तरह से रख–रखाव करना जैसे ज्यादा बोझ, डालना, बीमार या कम उम्र के पशुओं से काम लेना।
- पशुओं के कुछ सामान्य अधिकार (**Animal Rights**) :–
  - सभी प्राणियों के प्रति करूणा/सहानुभूति रखना।
  - किसी पशु को मारना या घायल नहीं करना।
  - किसी पशु को लावारिश नहीं छोड़ना।
  - गर्भवती एवं बीमार पशु का वध नहीं करना।
  - पशुओं को पर्याप्त भोजन, पानी, स्थान, व्यायाम आदि से वंचित नहीं करना ।
  - आवश्यकता से कम जगह पर अत्यधिक पशुओं को बांधकर नहीं रखना या ढुलाई करना ।
  - पशु बलि गैर कानूनी है।
  - पशुओं/पक्षियों को जबरन आपस में नहीं लड़ाना।
  - पक्षियों के घोंसला नहीं तोड़ना या अंडों को बर्बाद नहीं करना एवं पेड़ की उन शाखाओं को नहीं काटना जिनपर घोंसले हों ।
- कोई व्यक्ति राज्य से बाहर गाय, भैंस, बाछा–बाछी, पाड़ा–पाड़ी, भैंसा, साँढ़ एवं बैल का निर्यात नहीं करेगा।
- इस उपबन्ध के उल्लंघन करने वाले को छः माह का कारावास या 1000/– रू. का जुर्माना या दोनों के दंड का प्रावधान है ।
- राज्य के प्रत्येक जिला में **Society** के द्वारा तस्करी के रूप में पकड़े गये पशुओं के रख रखाव, चारा–दाना तथा दवा की व्यवस्था हेतु प्रत्येक जिला पशुपालन पदाधिकारी के अधीन एक–एक लाख रूपये की राशि आवंटित हैं ।
- पकड़े गये पशुओं के रख–रखाव, चारा–दाना एवं दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी की है ।
- इस प्रकार पकड़े गये पशुओं को निकटवर्ती गोशालाओं/कांजी हाउस में अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं वहीं पर उनका रख'–रखाव, चारा–दाना एवं दवा की व्यवस्था की जायेगी ।
- **The Cattle Trespass Act, 1871** के आलोक में उक्त पशुओं की विमुक्ति के लिए कार्रवाई की जायेगी।
- राज्य के प्रत्येक जिला में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पशु क्रूरता निवारण समिति गठित है जिसके सचिव जिला पशुपालन पदाधिकारी होते हैं।
- जिला पशु क्रुरता निवारण समिति का कार्यकाल 5 वर्षो का है जिसमें सरकारी पदाधिकारियों के अलावा चार गैर सरकारी सदस्य भी होते हैं।
- पशुओं पर क्रूरता पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1962 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा भारत के संविधान की धारा– 48 48 (**a**) एवं 51 **A (g)** की भावनाओं के प्रतिकूल है।

पशु क्रूरता
से संबंधित शिकायत, संबंधित थाना/पुलिस अधीक्षक/ जिला पशुपालन पदाधिकारी से की जा सकती है

- नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र से मान्यता प्राप्त वधशाला के बाहर किसी भी पशु का वध गैरकानूनी है ।
- पशु क्रूरता निवारण नियमावली 1960, पशु परिवहन नियमावली 1978 एवं संशोधित परिवहन नियमावली 2009 का पालन किया जाना है जो निम्न प्रकार है–

1. भिन्न-भिन्न प्रकार के पशुओं को रखने हेतु स्थान की अनुमान्यता :-

200 किलोग्राम के गो जाति हेतु	1 वर्गमीटर
200-300 किलोग्राम के गो जाति हेतु	1.20 वर्गमीटर
300-400 किलोग्राम के गो जाति हेतु	1.40 वर्गमीटर
400 किलोग्राम भार से ज्यादा के गो जाति हेतु	2.0 वर्गमीटर

2.वाहन द्वारा पशुओं की ढुलाई हेतु स्थान की अनुमान्यता :-

गो जाति हेतु

वाहन का आकार लम्बाई x चौड़ाई (मीटर)	वाहन का फर्श क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गो जाति की संख्या			
		200 कि0ग्रा0 वजन वाले गो जाति के पशु	200-300 कि0ग्रा0 वजन वाले गो जाति के पशु	300-400 कि0ग्रा0 वजन वाले गो जाति के पशु	400 कि0ग्रा0 वजन से अधिक वाले गो जाति के पशु
6.9 x 2.4	16.56	16	14	12	8
5.6 x 2.3	12.88	12	10	8	6
4.16 x 1.9	7.904	8	6	6	4
2.9 x 1.89	5.481	5	4	4	2

घोड़ा जाति हेतु

घोड़ा	ढुलाई हेतु स्थान (वर्गमीटर)
वयस्क घोड़ा	2.25
घोड़ी (गर्भवती सहित)	2
छोटा घोड़ा/घोड़ी	1.5
घोड़ी का बच्चा (6 माह से 12 माह)	1.4
घोड़ी का बच्चा (12 माह से 18 माह)	1.6
घोड़ी का बच्चा (18 माह से उपर 2 वर्ष तक)	2
घोड़ी बच्चा सहित (6 माह तक)	2.25

भेड़ एवं बकरी जाति हेतु

वजन	ढुलाई हेतु स्थान (वर्गमीटर)	
	ऊन वाला	बिना ऊन वाला
20 किलोग्राम से अधिक नहीं	0.17	0.16
20 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक	0.19	0.18
25 किलोग्राम से 30 किलोग्राम तक	0.23	0.22
30 किलोग्राम से 40 किलोग्राम तक	0.27	0.25
40 किलोग्राम से अधिक	0.32	0.29

PR- 2671 (Animal) D. 2018-19

पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा जनहित में प्रचारित